राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 12/2022

निर्णय दिनांक :– 18.07.2022

प्रार्थी :–

फिरोज खां पुत्र कमरूद्दीन उम्र– 45 वर्ष

जाति–सोरगर(मुसलमान), निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 18.07.2022**

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम–नाडोल चक द्वितीय की खाता संख्या 510 जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नाडोल चक द्वितीय के खसरा नम्बर 3517 रकबा 0.02 हेक्टर किस्म बा.दो., खसरा नम्बर 3518 रकबा 0.51 हेक्टर किस्म बा.दो., खसरा नम्बर 3519 रकबा 0.37 हेक्टर किस्म. बा.दो. एवं खसरा नम्बर 3520 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बा.दो. कुल खसरे 04 कुल रकबा 1.11 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिए(रास्ते की भूमि) 48 मीटर लम्बा एवं 9.5 मीटर चौडा रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.36 हेक्टर में से पश्चिम माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/247 दिनांक 07.06.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 04.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पत्रावली (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 12/2022 अनवान फिरोज खां बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

4– अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2022/ 1102 दिनांक 04.07.2022 के जरिये पटवार हल्का नाडोल चक द्वितीय एवं भू–अभिलेख निरीक्षक नाडोल से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम नाडोल चक द्वितीय की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 3517, 3518, 3519 एवं 3520 कुल रकबा 1.11 हेक्टर भूमि में आवगमन के लिए पडौस स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.36 हेक्टर मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थी पूर्व में भी अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने बाबत प्रस्तावित रास्ते खसरा नम्बर 3522 सिवायचक भूमि में से ही आना जाना करता था
4. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.36 हेक्टर किस्म बा.दो सिवायचक भूमि मे से पश्चिम माठ के किनारे–किनारे उत्तर से दक्षिण 48 मीटर लम्बा एवं 9.5 मीटर चौडा जिसकी कुल क्षेत्रफल 48 x 9.5 = 456 वर्गमीटर भूमि बनता है जो दिया जाना उचित है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 1080135/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 456 वर्गमीटर की राशि रूपये 49255/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 98510/– बनती है।

5– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट मे जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही होने से प्रार्थी को खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.36 हेक्टर सिवायचक भूमि में से से पश्चिम माठ के किनारे–किनारे उत्तर से दक्षिण 48 मीटर लम्बा एवं 9.5 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी मे आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3522 में से ही है अत न्यायालय की राय मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

पेज (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 12/2022 अनवान फिरोज खां बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम नाडोल चक द्वितीय के खसरा नम्बर 3517, 3518, 3519 एवं 3520 कुल रकबा 1.11 हेक्टर किस्म बा.दो. भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.36 हेक्टर में से पश्चिम दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण 48 मीटर लम्बा एवं 9.5 मीटर चौडा कुल क्षेत्रफल 48 x 9.5 = 456 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 98510/– रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 48 मीटर लम्बे एवं 9.5 मीटर चौडे कुल रकबा 48 x 9.5 = 456 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल. सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 98510/– प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष मे जमा करवाई जाकर। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम नाडोल चक द्वितीय खसरा नम्बर 3517, 3518, 3519 एवं 3520 कुल रकबा 1.11 हेक्टर भूमि किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 3522 रकबा 0.36 हेक्टर में से पश्चिम दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर 48 मीटर लम्बा एवं 9.5 मीटर चौडा कुल रकबा 48 x 9.5 = 456 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड मे अमल दरामद, नक्शे मे तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
(एस. डी. ओ.) सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को मेरे द्वारा खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)